



2026:AHC:165105

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण ज़मानत आवेदन संख्या - 27458 वर्ष 2026

श्रीमती दिव्या देवी

.....आवेदनकर्ता(गण)

बनाम

उ. प्र. राज्य

.....विपक्षी(गण)

आवेदनकर्ता(गण) के अधिवक्ता : ज्ञान प्रकाश मिश्रा

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय संख्या - 65

माननीय न्यायमूर्ति समीर जैन

1. आवेदक के अधिवक्ता श्री ज्ञान प्रकाश मिश्र और राज्य-प्रत्यर्थी की ओर से एजीए श्री राजीव धर द्विवेदी के तर्क सुने।
2. यह प्रार्थना-पत्र अवर न्यायालय में मुकदमे की सुनवाई के दौरान आपराधिक वाद संख्या 31/2026 (धारा 103(1), 238, 61(2) बीएनएस, थाना खुर्जा नगर, ज़िला बुलंदशहर) में आवेदक को ज़मानत पर रिहा करने के लिए दायर की गई है।
3. आवेदक के अधिवक्ता ने कहा कि आवेदक मृतक की पत्नी है और आरोप के अनुसार उसने सह-आरोपी पिंटू के साथ मिलकर अपने पति की हत्या की, लेकिन आवेदक पर लगाए गए सभी आरोप पूरी तरह झूठे हैं।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



4. उन्होंने आगे कहा कि मृतक का शव घर से दूर मिला था और केवल इस शक के आधार पर कि आवेदक के सह-आरोपी पिंटू के साथ अवैध संबंध थे, उसे सह-आरोपी पिंटू के साथ इस मामले में फँसाया गया है।
5. उन्होंने आगे कहा कि शक के अलावा अभिलेख में आवेदक के खिलाफ कोई ठोस साक्ष्य नहीं है।
6. उन्होंने आगे कहा कि आवेदक एक महिला है, उसका कोई पुराना आपराधिक इतिहास नहीं है और वह इस मामले में 17.1.2026 से, यानी पिछले छह महीनों से जेल में है।
7. इसके विपरीत, एजीए ने ज़मानत प्रार्थना-पत्र का विरोध किया और कहा कि जाँच के दौरान आवेदक और सह-आरोपी पिंटू के सीडीआर से पता चलता है कि उनके बीच कई बार बातचीत हुई थी, और इसलिए इससे पता चलता है कि आवेदक के उसके साथ अवैध संबंध थे; लेकिन वे इस बात से इनकार नहीं कर सके कि इस तथ्य के अलावा, अभिलेख में आवेदक के खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं है।
8. मैंने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्क सुने और मामले के अभिलेख को देखा।
9. आरोप के अनुसार, आवेदक मृतक की पत्नी है और उसके सह-आरोपी पिंटू के साथ अवैध संबंध थे और इसलिए उसने उसके साथ मिलकर अपने पति की हत्या की; लेकिन ऐसा लगता है कि यह परिस्थितिजन्य साक्ष्यों का मामला है और इस तथ्य के अलावा कि आवेदक का सह-आरोपी पिंटू के साथ विवाहेतर संबंध था, ऐसा लगता है कि अभिलेख में उसके खिलाफ कोई ठोस साक्ष्य नहीं है। इस न्यायालय की राय में, केवल ऊपर बताई गई बातों के आधार पर आवेदक के खिलाफ कोई धारणा नहीं बनाई जा सकती।
10. इसके अलावा, आवेदक एक महिला है, उसका कोई पुराना आपराधिक अभिलेख नहीं है और वह इस मामले में पिछले छह महीनों से जेल में है।
11. इसलिए, ऊपर बताए गए मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, मेरी राय में, आवेदक ज़मानत पर रिहा होने की हकदार है।
12. इसी के अनुसार, मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, यह ज़मानत प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाता है।



13. आवेदक-श्रीमती दिव्या देवी को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार उतनी ही राशि का व्यक्तिगत बंधपत्र और दो ज़मानतदार पेश करने पर उक्त मामले में ज़मानत पर रिहा किया जाए, साथ ही निम्नलिखित शर्तें भी लागू होंगी:-

(i) आवेदक तय तारीखों पर विचारण न्यायालय के सामने पेश होगी, जब तक कि उसे व्यक्तिगत रूप से पेश होने से छूट न दी गई हो।

(ii) आवेदक मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से कोई लालच, धमकी या वादा नहीं देगी ताकि उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के सामने ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके या साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ की जा सके।

(iii) आवेदक किसी भी आपराधिक और असामाजिक गतिविधि में शामिल नहीं होगी।

14. ऊपर बताई गई किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर, अभियोजन पक्ष को आवेदक की ज़मानत निरस्त करने के लिए इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र देने की छूट होगी।

15. यह स्पष्ट किया जाता है कि यहाँ की गई टिप्पणियाँ केवल ज़मानत प्रार्थना-पत्र के निस्तारण के लिए पक्षों द्वारा पेश किए गए तथ्यों तक ही सीमित हैं और इन टिप्पणियों का विचारण के दौरान मामले के गुण-दोष पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

(न्यायमूर्ति समीर जैन)

6 अगस्त, 2026

अंकिता